हमारे मंडल ने सहानुभूति नियुक्ति योजना 2014 के विद्यमान अनुच्छेद सं.7,9,10 और 17 (iii) के अनुसार संशोधन किए हैं जो परिशिष्ट `ए` पर संलग्न हैं.

कानूनी वारिसों के लिए ये संशोधन 23.3.2018 से प्रभावी होंगे.

i) मृत्यु के संबंध में मृतक कार्मिकों या मेडीकल आधार पर या

ii) 55 साल की उम्र तक पहुचने से पहले मेडीकल आधार पर अक्षमता के कारण सेवानिवृत्त हुए.

23.03.2018 को या उसके बाद उत्पन्न.

सहानुभूति नियुक्ति योजना 2014 के अन्य प्रावधानों ,नियमों, शर्तों या दिशानिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं है.

जिप्सा का परिशिष्ट - `ए` तारीख : 03-04-2018

<u>सहानुभूति नियुक्ति योजना - संशोधन / परिवर्तन</u>

अनुच्छेद	**मुद्दा**	**विद्यमान प्रावधान**	**संशोधित (परिवर्तित प्रावधान)**
7	ऊपरी आयु सीमा की छूट	**<u>छूट</u>** **जहां आवश्यक हो वहां ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है, हालांकि 18 से कम की आयु के किसी भी मामले में छूट नहीं दी जा सकती.** **नोट 1- आयु की पात्रता को आवेदन की तारीख के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा न कि नियुक्ति की तारीख से.** **नोट 2- सहानुभूति नियुक्ति के बारे में अंतिम निर्णय लेने के मामलों में सक्षम प्राधिकारी ही आयु सीमा और ऐसी नियुक्ति हेतु सक्षम हैं.**	ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जा सकती है : • पति/पत्नी आवेदक - कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं. • गैर पति/पत्नी आवेदक 35 वर्ष या संबंधित नियुक्ति नियमों में निर्धारित, या जो भी अधिक हो. न्यूनतम आयु सीमा के मामले में हालांकि 18 वर्ष की आयु से कम के मामले में कोई छूट नहीं है. **नोट 1- आयु की पात्रता को आवेदन की तारीख के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा न कि नियुक्ति की तारीख से.** **नोट 2- सहानुभूति नियुक्ति के बारे में अंतिम निर्णय लेने के मामलों में सक्षम प्राधिकारी ही आयु सीमा और ऐसी नियुक्ति हेतु सक्षम हैं.**
9.2	निर्धारण/रिक्तियों की उपलब्धता	सहानुभूति नियुक्ति अधिकतम 5% रिक्तियों को भरने के लिए सीधी भर्ती कोटा के माध्यम से लिपिकीय वर्ग या सब-स्टाफ संवर्ग में चिन्हित रिक्तयां में की जा सकती है. उक्त वर्णित संवर्गों में कंपनी 5% रिक्तियों को अपने पास रख सकती	सहानुभूति नियुक्ति अधिकतम 5% रिक्तियों को भरने के लिए सीधी भर्ती कोटा के माध्यम से लिपिकीय वर्ग या सब-स्टाफ संवर्ग में चिन्हित रिक्तयां में की जा सकती है. उक्त वर्णित संवर्गों में कंपनी 5% रिक्तियों को अपने

		है जिन्हें सहानुभूति आधार पर भरा जाना है. सहानुभूति आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित व्यक्तियों को नियुक्ति रोस्टर में उपयुक्त संवर्ग में समायोजित किया जाए जैसे अजा/अजजा/अपिव/सामान्य संवर्ग. यह उस श्रेणी के आधार पर हो जिससे वह संबंधित है.	पास रख सकती है जिन्हें सहानुभूति आधार पर भरा जाना है. सहानुभूति आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित व्यक्तियों को नियुक्ति रोस्टर में उपयुक्त संवर्ग में समायोजित किया जाए ,जैसे अजा/अजजा/अपिव/सामान्य संवर्ग , यह उस श्रेणी के आधार पर हो जिससे वह संबंधित है. बशर्ते, हालांकि यदि लिपिकीय संवर्ग में या सब स्टाफ संवर्ग में नियमित रुप से नई भर्ती नहीं हो रही है, तो सहानुभूति आधार पर भर्ती आवश्यकता के आधार पर करने का विचार किया जा सकता है.
10	परिवार में कमाऊ सदस्य का उपस्थिति	**<u>जहाँ कमाऊ सदस्य है 10.1</u>** **योग्य मामलों में, वहाँ चाहे परिवार में पहले ही कमाऊ सदस्य हों तब कंपनी के सदस्य प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन पर सहानुभूति नियुक्ति के लिए परिवार के आश्रित सदस्य पर विचार किया जा सकता है जो ऐसी नियुक्ति के अनुमोदन देने से पहले वह खुद की संतुष्टि करेगा कि सहानुभूति नियुक्ति की मंजूरी उचित है. यह कर्मचारी के अश्रितों की संख्या,परिसंपत्तियों और बकाया दायित्वों के आधार पर होगा. दायित्वों में कमाऊ सदस्य की आय भी दायित्वों में शामिल होगी**	**<u>10.1</u>** **जहां कमाऊ सदस्य है यदि पति/पत्नी काम कर रहे है और उसकी कुल आय सहायक संवर्ग के प्रवेश चरण की आय से अधिक है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा. हालांकि, यदि पति/पत्नी वर्तमान नौकरी के बावजूद सहानुभूति नियुक्ति बशर्ते वह आवेदन करना चाहता है तो उस पर विचार किया जा सकता है जोकि कंपनी में कार्य ग्रहण करने से पहले वर्तमान नियोक्ता को इस्तीफा देगा और कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करने के अध्याधीन होगा.**

		तथा साथ ही यह तथ्य भी कि कमाऊ सदस्य कर्मचारी के परिवार के साथ ही रह रहा है और चाहे वह परिवार के अन्य सदस्यों का समर्थन स्त्रोत न हो. **<u>10.2</u>** **ऐसे मामलों में जहॉ मृतक या चिकित्यीय आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार का कोई भी सदस्य पहले से ही रोजगार में है और कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों को समर्थन नही दे रहा है, मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के आर्थिक संकट को सुनिश्चित करने में अत्यधिक सावधानी बर्तनी चाहिए ताकि सहानुभूति नियुक्ति की सुविधा को इस आधार पर नहीं रखा जाए कि परिवार का सदस्य जो पहले से ही रोजगार में है परिवार का समर्थन नहीं कर रहा है.**	**<u>10.2</u>** **यदि पति/पत्नी काम कर रहे है और उसकी कुल आय सहायक संवर्ग के प्रवेश चरण की आय से कम है तो परिवार के किसी भी सदस्य के आवेदन पर विचार किया जा सकता है, चाहे कमाऊ सदस्य उपस्थित हो यह पति/पत्नी से प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र के अध्याधीन होगा.**
17. (iii)	परिवार की वित्तीय स्थिति के मूल्याकन करने का उद्देश्य	सहानुभूति आधार पर नियुक्ति के आवदेन को मात्र इसलिए नहीं अस्वीकार जा सकता कि कर्मचारी के परिवार ने विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए हैं. सहानुभूति आधार पर नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करते हुए परिवार की वित्तीय स्थिति का संतुलित और	हटाया जाए.

		उद्देश्य पूर्ण आकलन किया जाए जिसमें उसकी परिसंपत्तियों और दायित्वों का भी ध्यान रखा जाए (इसमें उक्त वर्णित विविध कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त लाभ भी शामिल हैं) और साथ ही अन्य संबंधित तथ्यों का भी ध्यान रखा जाएगा जैसे कमाऊ सदस्य की उपस्थिति परिवार में सदस्यों की संख्या आदि.	